


राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- सं. 24-6(2)स्था/पदो./अभि/2021 ७४२१-३५ दिनांक : २९/०९/२०२१

**-: आदेश :-**


अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक सं. 24-6(2)स्था/पदो./अभि/2021/8800-8810 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा श्री रविन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री चन्द्रशेखर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर (अनुसूचित क्षेत्र) कार्यभार संभालने की तिथि से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2021-22 में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मैट्रिक्स लेवल-11 में पदोन्नति प्रदान कर आदेश क्रमांक सं.3(5)(2)स्था./मंत्रा/अभि/16/2131-2200 जयपुर दिनांक 08.09.2021 द्वारा इनका पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ़ किया गया था।

श्री रविन्द्र कुमार जोशी, सहायक प्रशासनिक द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पदोन्नति परित्याग करने का अनुरोध करने के फलस्वरूप इनको पदोन्नति परित्याग(फोरगो) करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बांसवाड़ा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यथावत रखा जाता है।

  
(चंचल मिश्रा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन - बांसवाड़ा / प्रतापगढ़।
4. प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय।
5. श्री रविन्द्र कुमार जोशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा:- सहायक निदेशक अभियोजन - बांसवाड़ा।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर